न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 36/2022 दायर दिनाँक 04.02.2022

वादीगण		प्रतिवादी
1. पूरणमल पुत्र लादूराम उम्र 73 वर्ष 2. रामदेव पुत्र लादुराम उम्र 70 वर्ष 3. किशनलाल पुत्र लादुराम उम्र 61 वर्ष समस्त जाति माली निवासीगण पदमानिया बास, डीडवाना 4. रामेश्वरी देवी पुत्री लादुराम पत्नि बालुराम उम्र 76 वर्ष 5. शान्ति देवी पुत्री लादुराम पत्नि रामचन्द्र उम्र 60 वर्ष जातिगण माली निवासीगण डीडवाना, जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री अल्ताफ हुसैन वकील वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 08.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण व उसका परिवार अपने पूर्वजों के समय से स्थायी रूप से पदमानिया बास, डीडवाना में निवास करते आ रहे है। वादीगण व उनका परिवार खेती करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है।

यह है कि वादीगण के पिता स्व0 लादु पुत्र नवला माली निवासी पदमानिया बास, डीडवाना के हक अधिकार कब्जा काश्त सुदा वर्तमान खेत खरसा सं0 9 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा व खसरा सं0 18 रकबा 9 बीघा वाकै सरहद शेखाबासनी, पटवार हल्का दौलतपुरा, तहसील डीडवाना में अवस्थित रहा है। वादीगण के पुश्तैनी हक अधिकार व निरन्तर बेरोक टोक काबिज व काश्त के उक्त खेताय की भूमि के साबिक खसरा सं0 6 रकबा 28 बीघा 7 बिस्वा रहे है। साबिक खेत खसरा सं0 6 रकबा 28 बीघा 7 बिस्वा में से वादीगण के पिता का 20 बीघा 07 बिस्वा पर सम्वत् 2012 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण के पिता अपने हक अधिकार व कब्जे की भूमि की समय–समय पर राज्य सरकार में बिगौड़ी जमा करवाते रहे है। रसीदात की नकल पेश है।

यह है कि साबिक खेत खसरा सं0 6 रकबा [illegible] बीघा [illegible] बिस्वा भूमि अब्दुल हकीम, रहीम बक्ष व रमजानी पिता [illegible] शेखासनी [illegible] दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

रही। उक्त खातेदार भारत पाकिस्तान बंटवाड़े में परिवार सहित पाकिस्तान चले गये। उक्त खेत की भूमि पर वादीगण के पिता का कब्जा काश्त होने के कारण सम्वत् 2012 में उक्त खेत की भूमि में वादीगण के पिता का नाम उप कृषक के रूप में दर्ज हुआ। वादीगण के पिता स्व0 लादु अपने जीवन पर्यनत उक्त भूमि बहैसियत स्वामी काबिज व काश्त रहे तथा राज्य सरकार में नियमित बिगौड़ी भरते रहे। लादु के स्वर्गवास के बाद वादीगण उक्त भूमि पर निरन्तर काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि के खातेदारी अब्दुल हकीम, रहीम बक्ष, रमजानी वल्द बल्लू देशवाली बंटवारे के समय से पाकिस्तान चल जाने के कारण उक्त खेताय कीभूमि निष्क्रान्त कृषि भूमि (महकमर कस्टोडियन की भूमि) के नाम खातेदारी दर्ज हुई ।

यह है कि पुराने खेत खसरा सं0 6 वर्तमान खेत खसरा सं0 9 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कुर्की सं0 174 दिनांक 31.8.1976 को आने के पश्चात वादीगण के पिता लादूराम पुत्र नौलाराम ने उक्त भूमि के संबन्ध में चालान संख्या 120 दिनांक 29.09.1976 को 464 रूपये तहसीलदार डीडवाना के समक्ष जमा करवा दिया तथा वादीगण के पिता आश्वस्त हो गया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में कुर्की राशि जमा करवा दी है तथा खातेदारी में वादीगण के पिता का नाम अमल दरामद हो गया होगा। वादीगण के पिता अनपढ़ काश्तकारी व्यक्ति होने के कारण उन्होने जीवन पर्यन्त उक्त राशि जमा करवाने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड की तरफ ध्यान नही दिया तथा खेत खसरा सं0 9 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा व खसरा सं0 18 बीघा 9 बिस्वा की भूमि पर बिना किसी रोक–टोक के नियमित काश्त करते रहे है।

प्रार्थना–पत्र वादीगण निम्न प्रकार है:–

यह है कि साबिक खेत खसरा सं0 6 रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा वर्तमान खेत खसरा सं0 9 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा व खसरा सं0 18 रकबा 09 बीघा कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाकर वादीगण के नाम खातेदारी में अमल दरामद किया जावें व प्रतिवादी (राजस्थान सरकार) का नाम खातेदारी से हटावाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। बावजुद सूचना के प्रतिवादी अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी का पेश हुआ। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 – जमाबन्दी खतौनी संम्वत 2022, प्रदर्श–2 जमाबन्दी खतोनी संवत 2038–2041, प्रदर्श–3 जमाबन्दी खतोनी संवत 2010–2014, प्रदर्श–4 जमाबन्दी खतोनी संवत 2023–2027, प्रदर्श–5 व 6 भू प्रबन्ध(सेटलमेंट)विभाग,सवम् 2025, प्रदर्श–7 जोधपुर गवर्नमेंट संवत् 2000, प्रदर्श–8 व प्रदर्श–9 खतौनी संवत 1991,, प्रदर्श–10 खसरा गिरदावरी संवत् 2013, प्रदर्श–11 खसरा गिरदावरी संवत 2014–2017 प्रदर्श–12 प चालान की प्रति, प्रदर्श–14 कार्यालय जिला कलेक्टर नागौर द्वारा [illegible] दिनांक 31.08.2021, प्रदर्श'15 तहसीलदार डीडवाना द्वारा जारी पत्र दिनांक [illegible].08.2021 प्रदर्श–16 तहसीलदार द्वारा जारी पत्र दिनांक 10.08.2021 प्रस्तुत किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद शेखाबासनी, पटवार हल्का दौलतपुरा के खेत खसरा सं0 6 रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा में से वर्तमान खेत खसरा सं0 9 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा व खसरा सं0 18 रकबा 09 बीघा कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा में वर्तमान खातेदारी के स्थान वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **08.09.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदद्में इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 36/2022 दायर दिनाँक 04.02.2022

वादीगण

1. पूरणमल पुत्र लादूराम उम्र 73 वर्ष
2. रामदेव पुत्र लादुराम उम्र 70 वर्ष
3. किशनलाल पुत्र लादुराम उम्र 61 वर्ष समस्त जाति माली निवासीगण पदमानिया वास, डीडवाना
4. रामेश्वरी देवी पुत्री लादुराम पत्नि बालुराम उम्र 76 वर्ष
5. शान्ति देवी पुत्री लादुराम पत्नि रामचन्द्र उम्र 60 वर्ष जातिगण माली निवासीगण डीडवाना, जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 08.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अलताफ हुसैन वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद शेखाबासनी, पटवार हल्का दौलतपुरा के खेत खसरा सं0 6 रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा में से वर्तमान खेत खसरा सं0 9 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा व खसरा सं0 18 रकबा 09 बीघा कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा में वर्तमान खातेदारी के स्थान वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत......................—..................... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.09.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो कि अदालत चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:06 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner